

नूतन वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चुरू
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट)



पीठासीन अधिकारी :- राहुल शैनी R.A.S.

उत्तम

कंचन कंवर आदि

बनाम

राजस्थान सरकार

जमा बाबत

नाम दुरुस्ती 1/15 88 RTA

मुकदमा नंबर -

93/2021

दिनांक -

17-11-2021

वादी की ओर से स्वयं

को न प्रतिनिधित्व करने से परेकारण

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-21 को

श्री राहुल शैनी

(नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, चुरू के अतिरिक्त न्यायालय के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिफ्री दी जाती है -

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्ता स्वीकार किया जाकर हमे मुझे खाता सं. 76 खसरा सं. 508/50, 511/139 रोही राजपुरिया वादीगण कंचन कंवर परिन जपेन्द्र सिंह, व गरिमा, श्री सुरापूर्विक पुत्र पुत्रियां जपेन्द्र सिंह की वलियत में जपराज सिंह कि कृपिा किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलवार चुरू जमातुसार राजस्व रिकॉर्ड में अगल दायमद करें।

खर्चा पक्षकारण अपने अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17-11-21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायाधीश को मुद्रा लगाकर

राहुल शैनी
(राहुल शैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादा	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. पदार्थ के लिए स्टाम्प		फ्लैडर की फीस
4. सभ्य पर फ्लैडर की फीस		साक्षियों के लिए निवाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निवाह व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़



170 A0 1306

17.11.2021